सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/43 दर्ज तिथिः—07.02.2025

1. भागीरथ पुत्र काना
2. रूगनाथ पुत्र काना
3. सहीराम पुत्र बाबू
4. रतनाराम पुत्र बाबू
5. सुजानाराम पुत्र बाबू
6. मीरा पत्नी बाबू

जाति विश्नाई निवासी भीलों की ढाणी, बारासण तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. लाधूराम पुत्र भगवाना
2. भीखाराम पुत्र भगवाना
3. पुनमाराम पुत्र भगवाना

जाति विश्नोई निवासी भीलो की ढाणी, बारासण तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबंधक बा0स0भू0वि0 बैक लिमि0 बालोतरा।
5. शाखा प्रबंधक, एसबीआई गुड़ामालानी।
6. तहसीलदार व उपपंजीयक गुढामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री प्रागाराम बोगराज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—07.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 16.05.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:28 IST
Reason: SelfAttested

गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2026/2146 दिनांक 11.03.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव में खसरा संख्या 411 में रास्ता पूनमाराम वगैरह हेतु प्रस्तावित आराजी बरंग हरा में आगे बढाते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त संशोधित प्रस्ताव पर वकील वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2026/2146 दिनांक 11.03.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 12.01.2026 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 3122—3130 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 3122—3130 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

2. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 410/12.5048 है0, 411/6.4911 है0 मौजा भीलों की ढाणी पटवार हल्का बारासण तसहील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। साथ ही दौरान—ए—बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव में खसरा संख्या 411 में रास्ता पूनमाराम वगैरह हेतु प्रस्तावित आराजी बरंग हरा में आगे बढाते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त संशोधित प्रस्ताव पर वकील वादी द्वारा सहमति प्रदान की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:28 IST
Reason: SelfAttested

गई। अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति प्रस्ताव एवं पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन नक्शा के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

3. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

4. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

5. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:28 IST
Reason: SelfAttested

का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

6. अतः हाल सह काष्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 410/12.5048 है0, 411/6.4911 है0 मौजा भीलों की ढाणी पटवार हल्का बारासण तसहील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति नक्शा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पूनमाराम पुत्र भगवाना हि0 1/3	विश्नोईयों	410	1.9095	बा0दो0
भीखाराम पुत्र भगवाना हि0 1/3	की ढाणी	410	0.9878	बा0दो0
लाधुराम पुत्र भगवाना हि0 1/3		410	0.5649	बा0दो0
कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन		410	1.3876	बा0दो0
हि0 पूनमाराम, भीखाराम, लाधुराम		410	1.1835	बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:28 IST
Reason: SelfAttested

एसबीबीजे गुड़ामालानी, बा0स0भू0वि0 बैंक लि0 बालोतरा		408 411	0.0207 3.1726	गै0मु0 बा0दो0
कुल किता 07 रकबा 9.2266 है0				
भागीरथ पुत्र काना हि0 1/3	विनोईयों	410	2.6131	बा0दो0
रूगनाथ पुत्र काना हि0 1/3	की ढाणी	410	1.0612	बा0दो0
सहीराम पुत्र बाबूराम हि0 1/12		410	0.2552	बा0दो0
सुजानाराम पुत्र बाबुराम हि0 1/12		410	0.6657	बा0दो0
रतनाराम पुत्र बाबुराम हि0 1/12		410	1.1078	बा0दो0
मीरादेवी पत्नी बाबुराम हि0 1/12		410	0.2907	बा0दो0
कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा		408	0.0117	गै0मु0
		409	0.0486	गै0मु0 ढाणी
		411	1.1078	बा0दो0
		411	2.0648	बा0दो0
कुल किता 10 रकबा 9.2266 है				
गै0मु0 रास्ता	विश्नोईयों	410	0.4460	गै0मु0
	की ढाणी	410	0.0319	रास्ता
		411	0.1458	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ
कुल किता 03 रकबा 0.6237 है0 गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काष्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्षा कुर्रेजात एवं सहमति संशोधित प्रस्ताव नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केषव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केषव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/43 दर्ज तिथिः—07.02.2025

1. भागीरथ पुत्र काना
2. रूगनाथ पुत्र काना
3. सहीराम पुत्र बाबू
4. रतनाराम पुत्र बाबू
5. सुजानाराम पुत्र बाबू
6. मीरा पत्नी बाबू

जाति विश्नाई निवासी भीलों की ढाणी, बारासण तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. लाधूराम पुत्र भगवाना
2. भीखाराम पुत्र भगवाना
3. पुनमाराम पुत्र भगवाना

जाति विश्नोई निवासी भीलो की ढाणी, बारासण तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबंधक बा0स0भू0वि0 बैक लिमि0 बालोतरा।
5. शाखा प्रबंधक, एसबीआई गुड़ामालानी।
6. तहसीलदार व उपपंजीयक गुढामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री प्रागाराम बोगराज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:28 IST
Reason: SelfAttested

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 410/12.5048 है0, 411/6.4911 है0 मौजा भीलों की ढाणी पटवार हल्का बारासण तसहील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति नक्शा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पूनमाराम पुत्र भगवाना हि0 1/3	विश्नोईयों	410	1.9095	बा0दो0
भीखाराम पुत्र भगवाना हि0 1/3	की ढाणी	410	0.9878	बा0दो0
लाधुराम पुत्र भगवाना हि0 1/3		410	0.5649	बा0दो0
कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन		410	1.3876	बा0दो0
हि0 पूनमाराम, भीखाराम, लाधुराम		410	1.1835	बा0दो0
एसबीबीजे गुड़ामालानी, बा0स0भू0वि0		408	0.0207	गै0मु0
बैंक लि0 बालोतरा		411	3.1726	बा0दो0
कुल किता 07 रकबा 9.2266 है0				
भागीरथ पुत्र काना हि0 1/3	विनोईयों	410	2.6131	बा0दो0
रूगनाथ पुत्र काना हि0 1/3	की ढाणी	410	1.0612	बा0दो0
सहीराम पुत्र बाबूराम हि0 1/12		410	0.2552	बा0दो0
सुजानाराम पुत्र बाबुराम हि0 1/12		410	0.6657	बा0दो0
रतनाराम पुत्र बाबुराम हि0 1/12		410	1.1078	बा0दो0
मीरादेवी पत्नी बाबुराम हि0 1/12		410	0.2907	बा0दो0
कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन		408	0.0117	गै0मु0
हिस्सा		409	0.0486	गै0मु0 ढाणी
		411	1.1078	बा0दो0
		411	2.0648	बा0दो0
कुल किता 10 रकबा 9.2266 है				
गै0मु0 रास्ता	विश्नोईयों	410	0.4460	गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ
	की ढाणी	410	0.0319	
		411	0.1458	
कुल किता 03 रकबा 0.6237 है0 गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:28 IST
Reason: SelfAttested

जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काष्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्षा कुर्रेजात एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति संशोधित प्रस्ताव निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।
यह डिक्री आज दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:03:28 IST
Reason: SelfAttested